



एग्री मैगज़ीन

(कृषि लेखों के लिए अंतरराष्ट्रीय ई-पत्रिका)

वर्ष: 02, अंक: 05 (मई, 2025)

www.agrimagazine.in पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री मैगज़ीन, आई. एस. एस. एन.: 3048-8656

हरियाली की नायिकाएँ: एक अनदेखा सहयोग

सुषमा प्रिया¹, मुकेश महतो², *अमृता कुमारी³ एवं अजय भारद्वाज³

¹पी एच डी, शोध छात्र, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (बिहार), भारत

²पी एच डी, शोध छात्र, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची (झारखण्ड), भारत

³सहायक प्राध्यापक, उद्यान (सब्जी विज्ञान) विभाग, बी ए यू, सबौर, भागलपुर (बिहार), भारत

*संवादी लेखक का ईमेल पता: amrita1arya93@gmail.com

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, लेकिन लंबे समय तक इसे उपेक्षित किया गया है। आज, समय की माँग है कि हम महिलाओं की भूमिका को न केवल स्वीकारें, बल्कि उसे सशक्त बनाएं और प्रोत्साहित करें।

महिलाएं: कृषि की रीढ़

गांवों में महिलाएं बुआई, निराई-गुड़ाई, कटाई, फसल की ढुलाई, बीज संरक्षण, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, खाद निर्माण जैसे अनेक कार्यों में लगी होती हैं। वे खेतों में पुरुषों के समान परिश्रम करती हैं, फिर भी उन्हें "कृषक" का दर्जा नहीं मिलता। महिलाओं का यह योगदान 'अदृश्य श्रम' के रूप में जाना जाता है। उनकी मेहनत और ज्ञान से कृषि-व्यवस्था की नींव मजबूत होती है।

महिलाओं की प्रमुख भूमिकाएं

1. उत्पादन में योगदान

धान की रोपाई, सब्जियों की बुवाई, पौधों की देखभाल, कीट नियंत्रण, सिंचाई, कटाई और पशुओं के चारे की व्यवस्था जैसे अनेक कार्यों में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाती हैं। छोटे और सीमांत किसानों के खेतों में महिलाएं दिनभर कठोर परिश्रम कर उपज को सुनिश्चित करती हैं।

2. परंपरागत ज्ञान और तकनीक

ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक कृषि तकनीकों की ज्ञाता होती हैं। बीजों का चयन, बीज संरक्षण, जैविक खाद का निर्माण (जैसे गोबर खाद, जीवामृत आदि), कीट-रोकथाम के घरेलू उपाय, और मौसम आधारित खेती के अनुभवों में उनका योगदान अमूल्य है।

3. पशुपालन और डेयरी उद्योग

महिलाएं आमतौर पर पशुपालन की मुख्य संचालक होती हैं। वे दुधारू पशुओं की देखभाल, दूध दुहना, चारा देना, सफाई, और उत्पादों की बिक्री तक सभी कार्य करती हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है और घरेलू पोषण स्तर भी बेहतर होता है।

4. पारिवारिक पोषण और खाद्य सुरक्षा

महिलाएं घर के आसपास बगिचा लगाकर ताजे फल, सब्जियाँ, मसाले आदि उगाती हैं। वे अचार, पापड़, मुरब्बा जैसे घरेलू उत्पाद बनाकर पोषण और आय में योगदान देती हैं। बच्चों की पोषण सुरक्षा में उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

5. कृषि आधारित उद्यमिता

कई महिलाएं अब कृषि-उद्यमिता की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं, जैसे मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, जैविक उत्पाद निर्माण, प्रसंस्करण इकाइयाँ आदि। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और महिला किसान उत्पादक कंपनियों (FPCs) के माध्यम से वे सामूहिक प्रयास कर रही हैं।

चुनौतियाँ

भूमि पर स्वामित्व की कमी

अधिकांश ग्रामीण महिलाओं के नाम पर जमीन दर्ज नहीं होती, जिससे वे कानूनी तौर पर कृषक नहीं मानी जाती। इसका सीधा असर उनकी योजनाओं तक पहुँच, बैंक ऋण, बीमा, अनुदान और प्रशिक्षण जैसे लाभों पर पड़ता है।

तकनीकी जानकारी व प्रशिक्षण का अभाव

महिलाएं पारंपरिक कृषि पद्धतियों में दक्ष होती हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकों, उन्नत किस्मों, जल प्रबंधन, कीट नियंत्रण और फसल चक्र जैसे विषयों की जानकारी उन्हें बहुत कम मिलती है। प्रशिक्षण शिविरों में उनकी भागीदारी सीमित होती है।

निर्णय लेने में सीमित भागीदारी

कृषि से जुड़े निर्णय दृ जैसे कौन-सी फसल बोई जाए, कब बेचा जाए, कहाँ निवेश हो दृ इन सभी में महिलाओं की राय को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। इससे वे आत्मनिर्भर नहीं बन पाती और उनकी भूमिका सीमित रह जाती है।

सामाजिक बंधन और लैंगिक असमानता

परंपरागत सोच और सामाजिक रीतियाँ महिलाओं को खुलकर कार्य करने से रोकती हैं। कई क्षेत्रों में खेती को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, और महिलाओं की मेहनत को कम आँका जाता है।

सुगम कृषि यंत्रों की अनुपलब्धता

महिलाओं के लिए उपयुक्त कृषि यंत्रों की कमी उनके श्रम को और कठिन बना देती है। बड़े-बड़े यंत्र उनके शरीर की बनावट के अनुकूल नहीं होते, जिससे उन्हें थकान और स्वास्थ्य समस्याएँ होती हैं।

उपाय व समाधान**महिला कृषकों को कानूनी दर्जा देना**

महिलाओं के नाम भूमि पंजीकरण को बढ़ावा दिया जाए ताकि वे योजनाओं, कृषि बीमा, ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा और निर्णय प्रक्रिया में उनका योगदान बढ़ाएगा।

कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्राथमिकता

महिलाओं के लिए विशेष कृषि प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाएँ और मोबाइल यूनिट्स चलाई जाएँ। स्थानीय भाषा और सरल तकनीकों से उन्हें खेती, प्रसंस्करण और विपणन की जानकारी दी जाए।

महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त करना

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित लघु उद्योगों, प्रसंस्करण इकाइयों, मशरूम उत्पादन, अचार-चटनी निर्माण, मधुमक्खी पालन आदि से जोड़ा जाए। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा।

महिला अनुकूल कृषि यंत्रों का निर्माण

सरल, हल्के, और महिलाओं के शरीर की बनावट के अनुसार डिज़ाइन किए गए कृषि यंत्रों को विकसित किया जाए। इन यंत्रों को सब्सिडी या कम लागत पर उपलब्ध कराया जाए।

डिजिटल साक्षरता और मोबाइल कृषि सेवाएँ

महिलाओं को डिजिटल उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे मौसम की जानकारी, बाजार भाव, कृषि विशेषज्ञ की सलाह जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकें। मोबाइल ऐप्स, वॉयस आधारित सूचना प्लेटफॉर्म उन्हें सक्षम बनाएंगे।

महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना

ग्राम सभाओं, कृषि सहकारी समितियों, एफपीओ और अन्य ग्रामीण संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य की जाए ताकि वे योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

निष्कर्ष

कृषि में महिलाओं की भागीदारी केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रगति का आधार है। महिलाएँ केवल खेतों की मेहनतकश नहीं हैं, बल्कि वे ज्ञान की वाहक, पोषण की संरक्षक और नवाचार की प्रेरक शक्ति हैं।

यदि उन्हें शिक्षा, तकनीकी जानकारी, संसाधनों तक पहुँच और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिल जाए, तो वे कृषि क्षेत्र में क्रांति ला सकती हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण, वास्तव में, देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास और सतत कृषि का आधार है।

“महिला किसान केवल एक खेतिहर मजदूर नहीं, बल्कि कृषि की नेतृत्वकर्ता हैं। उन्हें सम्मान देना, देश के भविष्य को सशक्त करना है।”